न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 08 आर 15/08–09

गन्दुर साहु अपीलकर्ता

बनाम

बितना मुण्डा प्रतिवादी

आदेश

9/18.07.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 175/06–07 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 20.02.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायरा किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
कडरु	10	469	2 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में एतवा मुण्डा पिता सोमरा मुण्डा के नाम से दर्ज है। एतवा मुण्डा के पुत्र रुपन मुण्डा हैं। रुपन मुण्डा ने जगदीश साहु के पक्ष में एक स्थायी एकरारनामा लिखकर उन्हें स्थायी रुप से विवादित जमीन पर दखल दे दिया। जगदीश साहु ने दखलकार होने के बाद विवादित जमीन पर आवास का निर्माण किया तथा चहारदीवारी भी बनाया। उसने 1964 में लगभग 5000 रुपया खर्च कर निर्माण कार्य किया। लगभग 31 सालों से विवादित जमीन पर जगदीश साहु ने निवास किया। बर्ष 1995 में जगदीश साहु ने एकरारनामा द्वारा विवादित जमीन वर्तमान अपीलकर्ता को बंदोबस्त कर दिया तब से वे दखलकार हैं। निम्न न्यायालय ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर जमीन वापसी का आदेश पारित किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं दावा किया कि यह मामला धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक का बनता है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित जमीन खतियान में प्रतिवादी के पूर्वज के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता के पास जो भी दस्तावेज हैं वो जाली हैं। अपीलकर्ता ने अभी हाल में विवादित जमीन पर दो कमरों का निर्माण किया है। शेष भूमि खाली है। विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि जमीन प्रतिवादी को वापस किया जाय।

प्रस्तुत वाद में सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता द्वारा सिर्फ एक एकरारनामे के आधार पर विवादित जमीन पर कब्जा किया गया है। यह छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 एवं भारतीय निबंधन अधिनियम की धारा 17 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी, शहर को आदेश निर्गत करें।

दिनांक :– 18.07.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।